क्रमांक - 67

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 (कार्तिक 28, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्र. 7-दिमनी से निर्वाचित सदस्य, श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 14.11.2018 के संलग्न अनुसार, जो इस सचिवालय में दिनांक 14.11.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

''मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भा.द.सं. की धारा 188 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) , 127 (ए) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया को दिनांक 13.11.2018 को 12.00 बजे बंदी कर सी.जे. एम., मुरैना के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें 16.00 बजे रुपये 20,000/- के व्यक्तिगत मुचलके पर उसी दिन रिहा किया गया.''

ए.पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.